WOMEN'S INTERNATIONAL NETWORK
RÉSEAU INTERNATIONAL DE FEMMES
RED INTERNACIONAL DE MUJERES

AMARC WIN

Gender Policy for Community Radio

March 8 2008

सामुदायिक रेडियो हेतु लैंगिक–नीति

प्रस्तावना

मानव जाति के सभी प्रकार के कार्यों के लिए महिलाओं की बराबरी और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को संसार की सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, संविधानों और समुदायों में स्वीकार किया है।

लिंग सैक्सुएलिटी, नस्ल, धर्म के भेद भाव बिना सभी लोगों के अधिकारों को मानवाधिकारो के घोषणा–पत्रों मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ व्याभिचार के उन्मूलन के सभी नियमों के तहत महिलाओं के अधिकारो को मान्यता दी है। इस सम्मेलन में शामिल सभी देशों की सरकारों का यह कर्त्तव्य बनता है कि वे उन कार्यक्रमों को लागू करें जिनसे ये तीन प्रमुख सिद्धांत पुष्पित हों – समानता का सिद्धांत, भेदभाव–विहीनता का सिद्धांत, और राज्य की बाध्यता का सिद्धांत।

भेदभाव विहीनता का सिद्धांत और राज्य की बाध्यता का सिद्धांत।

महिलाओं की समानता को प्रचारित करने में जन संचार की भूमिका अत्यावश्यक है। यह बात 1995 में स्त्री शक्ति पर आधारित बीजिंग के मंच जे0 के अंतर्गत सर्वसम्मति से मानी गयी है। यह खण्ड जन संचार की भागीदारी पर

लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन यह भी बताता है कि मीडिया के सभी विभागों के अहम पदों पर जहां जरूरी निर्णय लिए जाते हैं, महिलाओं की संख्या न के बराबर है। इसके अलावा यह इस बात पर भी बल देता है कि महिलाओं की स्थिति सुधारने की तुरंत जरूरत है तथा इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है कि महिलाओं का निर्णय लेने वाले अहम पदों पर लाने की खातिर उनके लिए प्रशिक्षण, शोध व उन्नति का प्रबन्ध करें। इस खण्ड का यह भी मानना है कि मीडिया में कार्यरत लोगों को यह कर्त्तव्यबोध दिलाया जाए कि वे निर्णयकारी पदों सहित मीडिया व अन्य नई जन–संचार तकनीकों, आई सी टी में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि और मीडिया मे महिलाओं की संतुलित छवि पेश करने जैसे दो कूटनीतिक लक्ष्यों पर हासिल करने में अपना भरपूर सहयोग दें।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सामुदायिक रेडियो सबसे अग्रणी रखना चाहिए। इंटरनेट तथा ऑन लाइन संचार माध्यमों के आगमन ने महिलाओं को निष्पक्ष आधार पर नेटवर्क बनाने तथा अपनी बात संचारित करने के लिए एक

अच्छा अवसर उपलब्ध कराया है। विकासशील देशों में रहने वाली अधिकांश महिलाएं सीमित मात्रा में ही तकनीक के सभी रूपों का उपयोग कर पाती हैं। विकासशील देशों की महिलाएं और विकसित देशों की महिलाएं जो तकनीक का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाती, सामुदायिक रेडियो से जुड़े लोगों को उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल सामुदायिक रेडियो से सम्बन्धित लोगों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नीति–निर्धारकों को भी इस विषय पर सोचने की जरूरत है। दुर्भाग्य से वर्तमान में मौजूद नीतियां महिलाओं की आवश्यकताओं की उपेक्षा करती हैं और एक ऐसा वातावरण पैदा करती हैं जो पुरूषों के लिए पुरूषों द्वारा तैयार किया गया है। यह चीज स्त्री और पुरूषों के बीच सूचना संबंधित दूरी को बढ़ा देती है तथा स्त्री के शरीर का व्यावसायिक तथा कामोपभोग की वस्तु जैसी नकरात्मक छवि भी पैदा करती है। सामुदायिक रेडियो इस मुद्दे को नीति–निर्धारको के समक्ष लाने में अपना कारगर योगदान दे सकता है। इसके अलावा इस राजैनतिक असंतुलन को मिटाने में मददगार साबित हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की धारा 1325 के अंतर्गत संघर्ष या युद्ध से बचने तथा शांति बनाए रखने के लिए महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया है। सामुदायिक रेडियो का यह दायित्व है कि युद्ध के हालात में महिलाओं और लड़कियों की जरूरतें बताई जाएं तथा शांति प्रयासों में महिलाओं की आवाजें सुनी जाएं। सामुदायिक रेडियो अपना कर्त्तत्य महसूस करता है कि महिलाओं की आवाज और उनकी आवाज और उनकी सोच दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित हों, यह बात सहभागिता बढ़ाने का प्रयत्न करने के लिए तकनीकी ज्ञान हासिल करने की पहल करने में उनका सहयोग करें। सामुदायिक रेडियो प्रगतिशील समाज आंदोलन का एक अंग है और इन बाध्यता महसूस करता है कि उन नैतिक नीतियों को लागू करने पर जोर डाले जो महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति दिलाने में महत्वपूर्ण हों। सामुदायिक रेडियो के लिए यह लैंगिक नीतिक स्टेशन में लैंगिक समानता लागू करवाने में एक यंत्र की तरह काम करेगी।

भाग – 1

रेडियो तक महिलाओं की पहुंच

राजनीति, सामाजिक मुद्दों, मनोरंजन और महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रम बनाने में दक्षता हासिल करने के लिए महिलाओं को रेडियो को माध्यम बनाने की जरूरत है।

इसके लिए महिलाओं के प्रशिक्षण के प्रति सकरात्मक नजरिए की जरूरत है। महिलाओं को मोहलत देनी होगी ि कवह कार्यक्रम का निर्माण कर सके। स्टेशन में सहयोगात्मक और सुरक्षित वातावरण तैयार करना होगा। यौन शोषण किसी महिला का न हो इस पर भी नीति बनानी होगी। महिलाओं को भी भयरहित होकर काम करने का अधिकार है इसलिए महिलाओं को खास तरह का प्रशिक्षण देना होगा जिसमें वो आत्म रक्षा के तरीके सीख सकें, स्टेशन के अंदर या बाहर मिलने वाली धमकियों का किस तरह सामना करना है, यह जान सकें। यह प्रशिक्षण महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद होगा।

संस्कृति को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कई बार सामुदायिक रेडियो में काम करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि महिलाएं अकेले जा नहीं सकती हैं और रात को देर तक काम नहीं कर सकती हैं। उदाहरण के तौर पर चलते फिरते रेडियो स्टेशन के माध्यम से या परिवहन की मदद से या रेडियो स्टेशन के पास ही निवास करने की सुविधा मौजूद कराकर महिलाओं की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। स्टेशन में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। जब तक महिलाऐं समानता हासिल नहीं कर लेती हैं तब तक उन्हें सहयोग प्रदान करने तथा किसी प्रकार के भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्टेशन में महिला मंच बनाना होगा तथा उनकी सहभागिता को बरकरार रखने के लिए एक सकरात्मक माहौल तैयार करना होगा।

भाग – 2

रेडियो में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

परिवार तक सीमित एक महिला की बजाए महिलाओं के सभी रूपों का प्रतिनिधित्व रेडियो में हो सके, इस बात का ध्यान रखता है कि यह सुनिश्चित करता है कि स्टेशन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों को उनके लिंग, सैक्सुअल व्यक्तित्व, वर्ग इत्यादि को आधार बनाकर अपमानित न किया जाए। सभी के लिए सम्मानजनक और गरिमामयी दृष्टि रखी जाए। रेडियो से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में भी इसका अमल हो। शारीरिक रूप से या किसी अन्य तरीके से न महिला को निशाना बनाए जाए और न हीं पुरूषों को यह सुनिश्चित हो।

सभी कार्यक्रमों को महिलाओं के नजरिए को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कुछ विशेष कार्यक्रम महिलाओं पर ही केन्द्रित होने चाहिए। इन कार्यक्रमों में महिलाओं प्रस्तोताओं पर किसी तरह ही बंदिश नहीं लगानी चाहिए। मीडिया में जहां बात विशेषज्ञों की आती है वहां महिलाओं को प्रायः दरकिनार कर दिया जाता है। विभिन्न स्रोत, समाज के

सभी प्रश्नों का प्रतिनिधित्व समाचार विश्लेषण आधारित कार्यक्रमों में इस्तेमाल की जाना चाहिए। इस चीज को सुगम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली विशेषज्ञ महिलाओं की सूची बनाए जाए तो इसका इस्मेमाल संदर्भ के रूप में किया जा सकता है।

भाग–3

अल्पसंख्यक महिलाओं की विशेष आवश्यकता

महिलाओं के विभिन्न अनुभव पहचानने की आवश्यकता है तथा उन महिलाओं के लिए ज़गह बनाने की भी जरूरत है जिन्होंने व्यावसायिक तथा राज्य मीडिया द्वारा भेदभाव या उपेक्षा सही है। इसमें अल्पसंख्यक महिलाओं को प्राथमिक आधार पर रेडियो का समय उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपनी समस्याओं को एक सुरक्षित और भेद भाव रहित लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

इस पृष्ठभूमि से महिलाओं का प्रशिक्षण और उनकी क्षमता में वृद्धि अनोखी है। जहां से फण्ड आ रहा है उन्हें देखना चाहिए की जरूरतें पूरी की जा रही हैं या नहीं।

भाग 4

कार्यक्षेत्र प्रबंधन के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व

दूसरे सरकारी या प्राइवेट मीडिया की तुलना में कम्युनिटी रेडियो में महिलाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व रहा है। फिर भी, महिलाओं को कम आंका जाता है विशेषतया निर्णय लेने के समय तथा तकनीकी दक्षता के क्षेत्र आदि तथा ऐसे कई कार्यक्षेत्र है जहां महिलाओं का प्रभावी प्रनिधित्व नहीं है। कम्यूनिटी रेडियों के सभी स्तरों पर महिलाओं के अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व के लिए स्वामित्व, प्रबंधन तथा उत्पादन में भागीदारी के लिए खास कोटा निर्धारित करने की जरूरत है जिसमें तकनीकी प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी भी सम्मिलित है। मुख्य लक्ष्य पुरुष और महिलाओं में बराबरी लाना है परन्तु महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत भागीदारी का अल्पसामयिक कोटे होना चाहिए। इस कोटा को हासिल करने के लिए महिलाओं की दक्षता के क्षेत्र में निवेश करना होगा, महिलाओं की सहायता तथा लिंग समानता पाने के लिए उनमें प्रबंधन प्रशिक्षण तथा नेतृत्व की स्थापना करनी होगी। महिलाओं की भागीदारी कार्यक्षेत्र पर मौजूद महिलाओं की संख्या से नहीं आंकी जा सकती।

महिलाओं का उत्पादन, स्वामित्व तथा निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाऐं नीति की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण रूप से जुड़ सकती हैं जिसमें सांस्कृतिक संवेदनशील सहायक वातावरण भी शामिल है।

कई ऐसे कारक हैं जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें शामिल हैं : बाल देखभाल, कार्य करने की फ्लैक्सीबल अवधि तथा प्रसारण सारणी जो महिलाओं की अन्य जिम्मेदारियों से मेल खाऐं, पर्याप्त रौशनी की उपलब्धता, तथा कार्यक्षेत्र पर मीटिंग तथा प्रसारण समय के दौरान सुरक्षा तथा जिन महिलाओं को कार्यक्षेत्र से आना और जाना पड़ता है उनके लिए सुरक्षित यातायात के साधन विशेषतया रात तथा सार्वजनिक अवकाश के दौरान। प्रक्षिण स्थलों में कम से कम आधे महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए।

भाग 5

उचित तकनीकी का उपयोग

जबकि महिलाएं आई0सी0टी0 के उपयोग में दक्ष हैं लेकिन अकसर महिलाओं को तकनीकियों के इस्तेमाल से वंचित कर दिया जाता है जिसमें पारंपरिक तकनीक भी शामिल है जैसे रेडियो स्टूडियो का संचालन। लिंग आधारित संख्या विभाजन को पहचान कर उससे उबरना आवश्यक है। ऐसा महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए समर्पित तकनीकी प्रशिक्षण तथा उचित तकनीकियों में निवेश दोनों तरीकों से किया जा सकता है। उचित तकनीक में शामिल हैं निशुल्क तथा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के लिए वचनबद्धता इसमें एक ऐसा रेडियो सैट अप जिसे महिलाओं द्वारा संचालित करने में आसानी हो तथा जिसमें महिलाओं में मानसिक अन्तरता तथा लेखा जोखा जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं कमजोर होती हैं आदि का ध्यान रखा गया हो तथा जिसे विकलांग समेत कोई भी संचालित कर सकें। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंच सम्भव है निरक्षरो के लिए उचित तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित है ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसे समझ सके। शोध तथा समर्थन पहल को बढ़ावा देने की भी अत्यंत आवश्यकता है जिससे गरीब तथा निरक्षरों की संचार के क्षेत्र में आवश्चकताएं पूरी हो सकें। ऐसा तकनीक के विकास जिसे निरक्षरों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तथा तकनीकों को सस्ता बनाने आदि दोनों तरीकों से सम्भव किया जा सकता है।

महिलाओं के रेडियो को अनुदान तथा शक्ति निर्माण

शक्ति निर्माण लिंग समानता पाने का महत्वपूर्ण कारक है। यह सिर्फ कार्यक्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के शक्ति निर्माण में ही लागू नहीं है बल्कि यह दोनों पुरुष तथा महिलाओं के लिए है ताकि वे साथ कार्य कर सकें जिससे एक सुरक्षित, पोषक तथा सहायक वातावरण का निर्माण हो सके जहा सब अपने आप को कार्यक्षेत्र की सफलता के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने लायक समझें। इसी प्रकार लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण रेडियो स्टेशन पर कार्यरत सभी भागीदारों के लिए आयोजित करना चाहिए ताकि पुरुष तथा महिलाएं भेदभाव तथा व्याभिचार आदि पहचान सकें तथा आखिर में समान लिंगीय सम्बन्ध विकसित कर सकें।

जहां कई स्टेशनों के पास लिग समानता पाने की अच्छी सोच है वहीं इस लक्ष्य को पाने के लिए अनुदान तथा शक्ति निर्माण का समर्पण दुर्लभ है। लिंगीय समानता पाने के लिए कुछ विशेष अनुदान तथा धन अलग से सुरक्षित होना चाहिए। इस धन का उपयोग महिलाओं में तकनीकी, प्रोग्रामिंग तथा प्रबंधन प्रतिभाओं के विकास के लिए किया जाना चाहिए तथा साथ ही ऐसे वातावरण के निर्माण में निवेश जिसमें महिलाऐं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर (जस राशना, सुरक्षा इतजाम या अलग शाचालय सुावधा आाद) तथा अन्य कायरत माहलाआ क साथ नेटवर्किंग के अवसर इत्यादि।

संरचनात्क दृष्टि से देखें तो स्टाफ, सलाहकार बोर्ड तथा प्रबंधन समिति में एक महिला अफसर का होना सर्वोत्तम होगा जो स्टेशन की जरूरतों का ध्यान रखे तथा महिला होने की दृष्टि से लिंग समानता को पाने के लिए कार्यक्रम संचालित कर सके।

This Gender Policy has been translated into 15 other languages see

AMARC-WIN International, 705 Rue Bourget #100, Montreal, Quebec
CANADA, H4C 2M6, Tel: +1-514-982-0351, Fax: +1-514-849-7129
secretariat@si.amarc.org, http://win.amarc.org/

The inputs to this gender policy come from the members of AMARCWIN Asia Pacific and it was appoved by AMARC-WIN International.

Drafing Commettee: Geeta Malhotra, READ (India); Nimmi Chauhan, DRISHTI Media Collective (India); Sonia Randhawa, AMARC Asia Pacific Board (Australia); Tamara Aqrabawe, INTERNEWS (Afghanistan); and Bianca Miglioretto, ISIS INTERNATIONAL (Philippines)

Cooordination: Isis International, www.isiswomen.org